अफगानिस्तान सरकार
और
भारत सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

अफगानिस्तान सरकार और भारत सरकार, विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए एक करार पर , निम्नलिखित पर सहमति हुई हैं :-

अनुच्छेद I

प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार के अनुबंध में विविनिर्दिष्ट विमान सेवाओं (जिसे आगे "विनिर्दिष्ट विमान सेवाएँ" कहा गया है) को उक्त अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों (जिसे आगे "विनिर्दिष्ट विमान मार्ग" कहा गया है) पर संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद II

(क) प्रत्येक विनिर्दिष्ट विमान सेवा, उस पक्षकार के विकल्प पर, जिसे इस करार के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं, तुरंत या बाद की किसी तारीख को इस शर्त पर शुरू की जा सकती है कि :-

(i) जिस पक्षकार को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसने संबंधित विनिर्दिष्ट विमान मार्ग के लिए एक एयरलाइन नामित कर दी हो (जिसे आगे "नामित एयरलाइन" कहा गया है); और

(ii) अधिकार प्रदान करने वाले पक्षकार ने संबंधित एयरलाइन को इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अनुसार उपयुक्त प्रचालन अनुमति दे दी हो, जो वह यथासंभव कम विलंब के साथ देगा।

(ख) नामित एयरलाइन से अधिकार प्रदान करने वाले पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को यह संतुष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि वह उन प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

(ग) प्रत्येक विनिर्दिष्ट विमान सेवा का प्रचालन संबंधित पक्षकार की इस सहमति के अधीन होगा कि विनिर्दिष्ट विमान मार्ग पर नागर विमानन के लिए उपलब्ध मार्ग-संगठन विमान सेवाओं के सुरक्षित प्रचालन के लिए पर्याप्त है।

अनुच्छेद III

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन, विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं का प्रचालन करते समय, अनुच्छेद IV के प्रावधानों के अधीन, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में, अनुबंध में विनिर्दिष्ट स्थल ओं पर, अंतर्राष्ट्रीय यातायात को उतारने या चढ़ाने की हकदार होगी, जो पूर्ववर्ती पक्षकार के क्षेत्र या किसी तीसरे देश से उत्पन्न होने वाला अथवा वहाँ के लिए नियत यातायात हो, और जो संबंधित विनिर्दिष्ट विमान मार्ग पर हो।

अनुच्छेद IV

(क) संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी प्रत्येक सहमत अवधि के संबंध में उस कुल क्षमता का संयुक्त रूप से निर्धारण करेंगे जो उचित लोड फैक्टर पर सभी यातायात–अर्थात् यात्रियों, माल और डाक–के वहन के लिए आवश्यक है, जो प्रत्येक पक्षकार के क्षेत्र से उत्पन्न होने और उस अवधि के दौरान प्रत्येक विनिर्दिष्ट विमान मार्ग पर संचालित की जाने वाली विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं द्वारा दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उतारे जाने की यथोचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

(ख) इस अनुच्छेद के पैरा (ग) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नामित एयरलाइनों को इस अनुच्छेद के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट यातायात के वहन के लिए, चाहे दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में समाप्त होने वाली सेवाओं पर या उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सेवाओं पर, उक्त पैरा (क) के अनुसार निर्धारित विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं की आधी क्षमता उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत करे।

(ग) (i) यदि किसी पक्षकार की नामित एयरलाइंस इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अनुसार उस पक्षकार को प्राप्त अधिकार की पूरी क्षमता या उसका कोई भाग प्रदान करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हैं, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों को उतनी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए अधिकृत करेंगे, जो पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा वास्तव में प्रदान की गई क्षमता और उक्त पैरा (ख) के अधीन उस पक्षकार को प्राप्त क्षमता के बीच का अंतर है (जिसे आगे "अपर्याप्त क्षमता" कहा गया है)।

(ii) यदि किसी पक्षकार की नामित एयरलाइंस, जो उस पक्षकार को प्राप्त क्षमता से कम क्षमता प्रदान कर रही थीं, अपर्याप्त क्षमता का पूरा या कोई भाग प्रदान करने में सक्षम और इच्छुक हो जाती हैं, तो वे दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों तथा अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर रही एयरलाइनों को इस आशय की कम से कम चार महीने की सूचना दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में, और जब तक दोनों वैमानिक प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर यह निर्देश न दें कि सूचना प्रभावी नहीं होगी, बाद वाली एयरलाइंस उक्त सूचना की अवधि समाप्त होने से पहले उनके द्वारा प्रदान की जा रही अतिरिक्त क्षमता का पूरा या कोई भाग वापस ले लेंगी और पूर्ववर्ती एयरलाइंस, जैसा भी मामला हो, अपर्याप्त क्षमता या उसके भाग को प्रदान करेंगी।

(घ) किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइंस, किसी विनिर्दिष्ट विमान मार्ग पर, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में तीसरे देशों से आने वाले या तीसरे देशों के लिए नियत यातायात को केवल निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उतार और चढ़ा सकती हैं :-

(i) यदि ऐसा तीसरा देश संविदाकारी पक्षों के क्षेत्रों के बीच स्थित है, तो उन एयरलाइनों द्वारा इस अनुच्छेद के पैरा (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई गई क्षमता का कोई भी भाग इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ii) यदि ऐसा तीसरा देश दूसरे पक्षकार के क्षेत्र से आगे स्थित है, तो इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमता उतनी होगी, जितनी दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी इस रूप में सहमत हों कि किसी सहमत अवधि के दौरान दूसरे पक्षकार की उन एयरलाइनों के हितों पर, जो उसके क्षेत्र और संबंधित तीसरे देश के बीच प्रचालन कर रही हैं, अनुचित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) (i) इस अनुच्छेद में "सहमत अवधि" का अर्थ इस करार के लागू होने की तारीख से पहले छह महीने और उसके बाद प्रत्येक लगातार छह महीने की अवधि है, जब तक कि वैमानिक प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों।

(ii) प्रदान की जाने वाली क्षमता पर पहले चरण में संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच चर्चा की जाएगी और, यदि संभव हो, तो उनके बीच उस पर सहमति बनाई जाएगी। दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों को इन चर्चाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच इस प्रकार हुई किसी भी सहमति के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक होगी। वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा ऐसी स्वीकृति इस अनुच्छेद के पैरा (क), (ग) और (घ) के अनुसार अपेक्षित सहमति मानी जाएगी।

(iv) यदि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी किसी ऐसे विषय पर सहमत होने में असफल रहते हैं, जिस पर इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी सहमति आवश्यक है, तो पक्षकार स्वयं उस पर सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि पक्षकार ऐसी सहमति प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इस करार के अनुच्छेद XI के प्रावधान लागू होंगे।

(v) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार क्षमता की किसी समीक्षा के पूरा होने तक, संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइंस अपनी मौजूदा विमान सेवाओं पर उपलब्ध कराई जा रही क्षमताओं को जारी रखने की हकदार होंगी।

अनुच्छेद V

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइंस दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी स्थल पर गेज परिवर्तन कर सकती हैं, निम्नलिखित शर्तों पर :-

(i) कि यह प्रचालन की मितव्ययिता के कारण उचित ठहराया गया हो;

(ii) कि पूर्ववर्ती पक्षकार के क्षेत्र में टर्मिनल से अधिक दूर वाले खंड पर उपयोग किए जाने वाले विमान, निकटवर्ती खंड पर उपयोग किए जाने वाले विमानों की तुलना में कम क्षमता वाले हों;

(iii) कि कम क्षमता वाले विमान को अधिक क्षमता वाले विमानों से जुड़ने के लिए निर्धारित किया जाए और वह परिवर्तन स्थल पर मुख्यतः उस यातायात को ले जाने के उद्देश्य से पहुँचे जो अधिक क्षमता वाले विमान से स्थानांतरित किया गया हो या उसमें स्थानांतरित किया जाना हो; और

(iv) कि गेज परिवर्तन के संबंध में की गई सभी व्यवस्थाओं पर अनुच्छेद IV के प्रावधान लागू हों।

अनुच्छेद VI

(क) किसी भी विनिर्दिष्ट विमान सेवा पर यात्रियों और माल के परिवहन के लिए लगाए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आर्थिक प्रचालन, उचित लाभ, सेवा की विशेषताओं में अंतर (जिसमें गति और आवास/सुविधा के मानक शामिल हैं) तथा संबंधित मार्ग या उसके खंड पर अन्य एयरलाइनों द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ शामिल हैं।

(ख) प्रत्येक मार्ग और उसके प्रत्येक खंड के संबंध में टैरिफ संबंधित नामित एयरलाइनों द्वारा उसी मार्ग या खंड पर प्रचालन करने वाली अन्य एयरलाइनों के परामर्श से सहमत किए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा अपनाई गई किसी भी प्रासंगिक दर को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार सहमत टैरिफ दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों की स्वीकृति के अधीन होंगे, सिवाय इसके कि किसी ऐसे मार्ग या खंड के लिए, जिसमें उस पक्षकार की कोई नामित एयरलाइन संबंधित न हो, उस पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। संबंधित नामित एयरलाइनों के बीच असहमति होने पर या यदि वैमानिक प्राधिकारी इस पैरा के अनुसार अपेक्षित टैरिफ को स्वीकृति न दें, तो पक्षकार आपस में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे; ऐसा न होने पर विवाद का निपटारा अनुच्छेद XI के अनुसार किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार टैरिफ निर्धारित होने तक वर्तमान में लागू टैरिफ प्रभावी रहेंगे।

(ग) इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे कोई संविदाकारी पक्ष, दूसरे पक्षकार की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा समय-समय पर अनुशंसित प्रथा के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू करने से रोका जाए।

अनुच्छेद VII

(क) किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन के विमान में दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में लाए गए या उसमें लिए गए ईंधन, स्नेहक तेल, स्पेयर पार्ट्स, नियमित उपकरण और विमान भंडार, जो उस क्षेत्र के अंतिम ठहराव वाले हवाई अड्डे से प्रस्थान के समय विमान में शेष हों, उन्हें सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या समान प्रभारों के संबंध में दूसरे पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन में संलग्न अपनी राष्ट्रीय एयरलाइनों को दिए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार नहीं दिया जाएगा: बशर्ते कि कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों को सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या समान प्रभार से छूट या उनकी माफी देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसा दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों को ऐसे प्रभारों से छूट या उनकी माफी प्रदान न करे।

(ख) यदि किसी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों की राय में दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में सीमा शुल्क, आव्रजन, संगरोध और इसी प्रकार के मामलों से संबंधित विनियमों का प्रशासन इस करार के अनुसार विमान सेवाओं के प्रचालन में उसकी नामित एयरलाइनों पर अत्यधिक भार डालता है, तो ऐसे दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, स्थिति की जांच करने के लिए परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद VIII

(क) प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को निम्नलिखित उपलब्ध कराएंगे :-

(i) विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए अपनी नामित एयरलाइनों को दी गई अनुमतियों से संबंधित जानकारी;

(ii) विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं की क्षमता की समीक्षा के प्रयोजन के लिए उपयुक्त यातायात संबंधी आँकड़े;

(iii) विनिर्दिष्ट एयरलाइनों द्वारा विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं पर किए गए यातायात के संबंध में यथोचित रूप से आवश्यक आवधिक विवरण, जिसमें ऐसे यातायात के उद्गम और गंतव्य से संबंधित जानकारी भी शामिल है; और

(iv) विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी, जो वैमानिक प्राधिकारियों को यह संतुष्ट करने में सक्षम बनाए कि इस करार की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी नामित एयरलाइंस दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को, यथासंभव पहले से, समय-सारिणियों और टैरिफ अनुसूचियों की प्रतियाँ तथा विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं पर संचालित किए जाने वाले विमानों के प्रकारों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएँ।

अनुच्छेद IX

(क) प्रत्येक पक्षकार को दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन के प्रचालन परमिट को रोकने या रद्द करने अथवा उसके संबंध में ऐसी उपयुक्त शर्तें लगाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि :-

(i) पहला पक्षकार इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी नामित एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित है;

(ii) ऐसी नामित एयरलाइन पहले पक्षकार के कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफल रहती है; या

(iii) पहले पक्षकार के निर्णय में, उन शर्तों को पूरा करने में विफलता हुई है जिनके अधीन इस करार के अनुसार दूसरे पक्षकार को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ख) कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफलता के मामले को छोड़कर, ऐसी कार्रवाई तभी की जाएगी जब संबंधित नामित एयरलाइन को उचित सूचना दी गई हो और संविदाकारी पक्षों के बीच परामर्श का अवसर दिया गया हो। इस अनुच्छेद के अधीन किसी पक्षकार द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति में अनुच्छेद XI के अधीन दूसरे पक्षकार के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद X

(क) घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी इस करार में निहित सिद्धांतों के पालन और प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से परामर्श करेंगे।

(ख) कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्ष के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है, ताकि इस करार में ऐसे संशोधन किए जा सकें जिन्हें वह वांछनीय समझे। ऐसा परामर्श अनुरोध की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर शुरू किया जाएगा। ऐसे परामर्श के परिणामस्वरूप इस करार में सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा।

(ग) विनिर्दिष्ट विमान मार्गों पर अपनी नामित एयरलाइनों के लिए अधिकृत मध्यवर्ती ठहराव स्थलों में किसी पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे परिवर्तन, जो :-

(1) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी नामित एयरलाइन द्वारा सेवा दिए जाने वाले स्थानों को बदलते हों; या

(2) मार्ग को युक्तिसंगत रूप से सीधा रहने से रोकते हों, – इस करार में संशोधन नहीं माने जाएंगे और इसलिए कोई भी पक्षकार ऐसे परिवर्तन कर सकता है: बशर्ते कि ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना बिना विलंब दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को दी जाए। यदि ऐसे दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी यह पाते हैं कि इससे इस करार के अनुच्छेद IV में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और ऐसा उल्लंघन उनके किसी एयरलाइन के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि पहले पक्षकार की नामित एयरलाइन दूसरे पक्षकार के क्षेत्र और किसी तीसरे देश के क्षेत्र में नए स्थल के बीच यातायात वहन करती है, तो दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा (क) के अनुसार परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं।

(घ) चाहे इस अनुच्छेद के पैरा (ख) में दिए गए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई हो या नहीं, कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना एक साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी दी जाएगी।

यह करार समाप्ति की सूचना दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख के एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले समझौते द्वारा सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की पावती न दिए जाने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन बाद प्राप्त हुई थी।

अनुच्छेद XI

(क) यदि संविदाकारी पक्षों के बीच वर्तमान करार या उसके अनुबंध की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकार पहले आपसी बातचीत द्वारा उसे निपटाने का प्रयास करेंगे।

(ख) यदि पक्षकार बातचीत द्वारा समाधान तक पहुँचने में असफल रहते हैं :-

(i) वे विवाद के निर्णय के लिए किसी पंचाट अधिकरण या दोनों के बीच सहमति से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को मामला सौंपने पर सहमत हो सकते हैं; या

(ii) यदि वे ऐसा करने पर सहमत नहीं होते हैं, या यदि विवाद को पंचाट अधिकरण को सौंपने पर सहमत होने के बाद वे उसके गठन पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी पक्षकार विवाद के निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के भीतर स्थापित ऐसे किसी अधिकरण को, जो उसका निर्णय करने के लिए सक्षम हो, मामला सौंप सकता है; और यदि ऐसा कोई अधिकरण न हो, तो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जा सकता है।

(ग) पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अधीन दिए गए किसी भी निर्णय, जिसमें कोई अंतरिम सिफारिश भी शामिल है, का पालन करने का वचन देते हैं।

(घ) यदि और जब तक कोई पक्षकार या किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन इस अनुच्छेद के पैरा (ग) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है, तब दूसरा पक्षकार वर्तमान करार और उसके अनुबंध के आधार पर उसे प्रदान किए गए किसी भी अधिकार को सीमित, रोक या रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद XII

यह करार 26 जनवरी 1952 को लागू होगा।

अनुच्छेद XIII

यदि अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन से संबंधित कोई बहुपक्षीय करार लागू होता है, जिसमें दोनों पक्षकार सम्मिलित हों, तो इस करार में ऐसे बहुपक्षीय करार के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन किया जाएगा।

अनुच्छेद XIV

जिस सीमा तक वे वर्तमान करार के अधीन स्थापित विमान सेवाओं पर लागू होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के प्रावधान संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की अवधि के लिए अपने वर्तमान रूप में लागू रहेंगे, मानो वे इस करार का अभिन्न अंग हों; जब तक कि दोनों पक्षकार अभिसमय में किसी ऐसे संशोधन की पुष्टि न कर दें जो विधिवत लागू हो चुका हो, ऐसी स्थिति में संशोधित अभिसमय वर्तमान करार की अवधि के लिए लागू रहेगा।

अनुच्छेद XV

(क) इस करार के प्रयोजन के लिए "क्षेत्र", "विमान सेवा" और "एयरलाइन" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो 7 दिसंबर 1944 को हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में विनिर्दिष्ट हैं; इस करार में इसे "अभिसमय" कहा गया है।

(ख) "वैमानिक प्राधिकारी" से भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और अफगानिस्तान के मामले में नागर विमानन महानिदेशक अभिप्रेत होगा तथा दोनों मामलों में ऐसा कोई व्यक्ति या निकाय भी अभिप्रेत होगा जो ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए अधिकृत हो।

(ग) किसी विनिर्दिष्ट विमान सेवा के संबंध में "क्षमता" का अर्थ उस आवास/परिवहन क्षमता की सीमा से है जो इस करार के अधीन यात्रियों, माल और डाक के परिवहन के लिए संबंधित मार्ग या मार्ग के खंड पर किसी सहमत अवधि के दौरान प्रदान और अनुमत की गई हो।

(घ) इस करार का अनुबंध इस करार का भाग माना जाएगा और "करार" के सभी संदर्भों में अनुबंध का संदर्भ भी शामिल होगा, सिवाय इसके कि जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके प्रमाणस्वरूप, उक्त पूर्णाधिकारियों ने इस करार पर अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में हस्ताक्षर किए हैं, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, और उन्होंने उस पर अपनी-अपनी मुहरें लगाई हैं।

26-1-1952 को काबुल में दो प्रतियों में किया गया।

कृते भारत सरकार

विंग कमांडर रूपचंद

अफगानिस्तान में भारत के राजदूत

कृते अफगानिस्तान सरकार

गुलाम मोहम्मद

संचार मंत्री

अनुबंध

1. भारत सरकार द्वारा नामित कोई एयरलाइन दोनों दिशाओं में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर विमान सेवाएँ संचालित करने और इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट स्थल ओं पर अफगानिस्तान के क्षेत्र में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने की हकदार होगी:-

1. दिल्ली और/या अमृतसर – पेशावर – काबुल और, यदि वांछित हो, आगे।
2. दिल्ली और/या श्रीनगर – पेशावर – काबुल और, यदि वांछित हो, आगे।
3. दिल्ली और/या बंबई – कराची – जिवानी – ज़ाहिदान – कंधार – काबुल और, यदि वांछित हो, आगे।

2. अफगानिस्तान सरकार द्वारा नामित कोई एयरलाइन प्रत्येक विनिर्दिष्ट मार्ग पर दोनों दिशाओं में विमान सेवाएँ संचालित करने और बाद में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्थल ओं पर भारत के क्षेत्र में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने की हकदार होगी।

3. (क) विनिर्दिष्ट मार्गों के किसी भी स्थल को नामित एयरलाइन के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों में छोड़ दिया जा सकता है।

(ख) यदि किसी भी समय किसी पक्षकार की विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं की निर्धारित उड़ानें दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में समाप्त होने के लिए और उस क्षेत्र से आगे जाने वाली विमान सेवा के भाग के रूप में नहीं, इस प्रकार संचालित की जाती हैं कि वे दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में रुकती हैं, तो बाद वाले पक्ष को अपने क्षेत्र में विनिर्दिष्ट विमान मार्ग पर ऐसी समाप्त होने वाली उड़ानों के टर्मिनल स्थल को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। बाद वाला पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी निर्धारित उड़ानों के टर्मिनल स्थल को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने पर कम से कम छह महीने की सूचना देगा।